न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 2016/00053 (मेन्युअल संख्या 102/16) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. बाबू लाल
2. बहादुर सिंह
3. मुरारी लाल

पुत्रान मोहन लाल जाति कुशवाह निवासी पूठपुरा मजरा बसई नवाव तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर

.....अपीलान्टान

बनाम

1. ग्राम पंचायत बसई नवाब तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर जरिये सरपंच
2. नारायण सिंह पुत्र सीताराम जाति कुशवाह निवासी पूठपुरा मजरा वसई नवाव तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर

.....रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर, सैंपऊ दिनांक 09.05.13 एवं नामा0 सं0 1816 वॉके ग्राम वसई नवाव तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर

उपस्थितिः—

1. श्री दुलीचन्द शर्मा वकील अपीलान्टान
2. श्री ललता प्रसाद वकील रैस्पो0 सं0 2

नि र्ण यदिनांकः— 10.10.2017

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर, सैंपऊ के निर्णय दिनांक 09.05.2013 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं किनामान्तरकरण संख्या 1816 रजिस्टर्ड वयनामा के आधार सरपंच ग्राम पंचायत वसई नवाव द्वारा दिनांक 20.01.2004 को फतेह सिंह पुत्र सीताराम के स्थान पर नारायन सिंह पुत्र सीताराम के नाम तस्दीक किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ के न्यायालय में इस आशय की अपील पेश की थी कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी अन्य आराजी के साथ जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 27.08.2001 को क्रय की थी व कब्जा प्राप्त कियाथा। रैस्पो0 संख्या 2 नारायण सिंह पुत्र सीताराम ने फर्जी एवं कूटरचित इकरारनामा बिक्रय के आधारपर एक वाद सिविल न्यायाधीश धौलपुर से दिनांक 21.10.2002 को डिक्री करा लिया तथा न्यायालय ने दिनांक 14.10.03 को वयनामा पंजीबद्ध करा दिया। अपीलान्ट ने जिला न्यायाधीश धौलपुर के यहॉ अपील पेश की थी जो दिनांक 23.09.2002 को अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर दी। अधीनस्थ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय में दिनांक 17.02.2011 को प्रकरण खारिज हो गया। इसलिये सिविल न्यायाधीश धौलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.2002 एवं उसकी अनुपालना में पंजीवद्ध वयनामा अपने आप शून्य व बेअसर हो गया। रैस्पो0 संख्या 2 के कोई हक नही रहे। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का नामा0 आदेश निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील खारिज करते हुऐ निर्देश दिये कि चाहे गये अनुतोष के लिये माननीय सिविल न्यायालय में कार्यवाही करें। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि डिक्री दिनांक 21.10.02 के आधार पर हुऐ वयनामा दिनांक 14.10.03 के आधार पर दर्ज नामा0 सं0 1816 दिनांक 20.01.04 अपील में डिक्री निरस्त होने पर वयनामा एवं नामा0 स्वतः ही प्रभावहीन हो जाते हैं। अतः उनका कानूनन कोई मूल्य नही रहता है। अपीलीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक सं0 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय कीडिक्री निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड कियाहै, जो अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। जब तक वह नम्बर पर नही आ जाता। तब तक दावा विचाराधीन नही माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय को स्वंय या अपील के माध्यम से नामान्तरकरण को निरस्त करना चाहिये था। डिक्री निरस्त हो जाने के बाद नामा0 सं0 1816 स्वतः ही अवैधानिक हो गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही नही है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा नामा0 संख्या 1816 दिनांक 20.01.04 खारिज किया जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि रैस्पो0 संख्या 2 नारायण सिंह पुत्र सीताराम ने इकरारनामा बिक्रय के आधार पर एक वाद सिविल न्यायाधीश धौलपुर में पेश किया था जो दिनांक 21.10.2002 को डिक्री हो गया था। इस निर्णय के आधार पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 14.10.03 को रैस्पो0 सं0 2 के पक्ष में वयनामा पंजीबद्ध करा दिया। वयनामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1816 दिनांक 20.01.04 दर्ज किया गया है, जो सही है। अपीलान्ट ने जिला न्यायाधीश धौलपुर के यहॉ अपील पेश की थी, जो अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर दी। अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही जेरकार थी। परन्तु न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया है। जिसको पुनः नम्बर पर लेने के लिये रैस्पो0 ने प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है, जो विचाराधीन है। जब तक न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है तब तक नामान्तरकरण निरस्त नही किया जा सकता है। सिविल कोर्ट के आदेश से ही वयनामा हुआ है और उसके आधार पर नामा0 दर्ज किया गया है। जब तब सिविल कोर्ट का निर्णय नही हो जाता, तब तक नामा0 निरस्त नही किया जा सकता है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। रजिस्टर्ड वयनामा के आधार सरपंच ग्राम पंचायत वसई नवाव द्वारा नामा0 सं0 1816 दिनांक 20.01.2004 को नारायन सिंह पुत्र सीताराम के नाम तस्दीक किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ के न्यायालय में इस आशय की अपील पेश की थी जो यह निर्देश देते हुऐ खारिज कर दी थी कि चाहे गये अनुतोष के लिये माननीय सिविल न्यायालय में कार्यवाही करें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि सिविल न्यायाधीश (व.ख.) धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2002 के आधार पर नारायण सिंह के पक्ष में वयनामा दिनांक 14.10.03 को माननीय न्यायालय द्वारा कराया गया। वयनामे के आधार पर नामा0 सं0 1816 दिनांक 20.01.04 संरपंच ग्राम पंचायत वसई नवाव द्वारा दर्ज किया था। जिसकी अपीलान्ट नेमाननीय अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) सं0 1 के न्यायालय में अपील पेश की थी जो दिनांक 23.09.2009 को स्वीकार होकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.10.2002 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट को पक्षकार बनाया जाकर, उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर विधि अनुसार पुनः निर्णय के लिये रिमाण्ड कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण अदम हाजरी व अदम सबूत में दिनांक 17.02.2011 को खारिज कर दिया। जिसे नम्बर पर लेने के लिये रैस्पो0 ने प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है। चूँकि माननीय सिविल न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.02 निरस्त हो चुकी है। जिसकी पालना में वयनामा हुआ था तथा वयनामा के आधार पर नामा0 दर्ज हुआ था। माननीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.10.2002 प्रभावहीन हो गया है। चूँकि अपीलान्ट ने फतेसिंह से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा आराजी क्रय की है। अपीलान्ट एक सद्भावी क्रेता है। इसलिये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः निर्णय के लिये अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.05.2013 व 20.01.2004 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर, गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official